रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED No. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 1987/आश्विन 3, 1909
No. 474] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1987/ASVINA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 839(अ).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 जुलाई, 1974 की अधिसूचना संख्या वी. 27021/1/74-(क) होम्यो के क्रम I में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अगस्त, 1987 के 25वें दिवस को वह तारीख निश्चित करती है, जिससे

उक्त अधिनियम के अध्याय 2, 3 और 4 के उपबंध मेघालय और हिमाचल प्रदेश राज्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे।

[संख्या वी. 26018/8/87-होम्यो. (सी.सी.एच.इलेक्शन सैल)]

एस के. आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 25th September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 839(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) and in continuation of notification No. V. 27021/1/74(A)-Homoeo., dated the 30th July, 1974, the Central Government hereby appoints the 25th day of August, 1987 as the date on which the provisions of Chapters II, III and IV of the said Act shal come into force in the States of Meghalaya and Himachal Pradesh.

[No. V. 26018/8/87/HOMOEO(CCH ELEC. CELL)]

S. K. ALOK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987